स्थाम्प 13 23/1

स्थाम्प 6955

कार्यालय राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट अलीगढ

न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा0कले0प्र0श्रेणी अतरौली जिला अलीगढ

अर्न्तगत धारा–143 ज0वि0एंव0भू0व्य0अधिनियम

वाद संख्या 22/2013

मौजा दादो परगना गंगीरी तहसील अतरौली जिला–अलीगढ

वीर खण्ड महाविद्यालय नगला झण्डा अलीगढ बनाम सरकार

नकल आदेश दिनांक 25.8.13

प्रस्तुत वाद प्रार्थी रामवीरसिंह यादव पुत्र कल्लूसिंह निवासी ग्राम नगला झण्डा मजरा दादो
परगना गंगीरी तहसील अतरौली जिला अलीगढ प्रबन्धक/सचिव वीर खण्ड महाविद्यालय नगला झण्डा
अलीगढ के प्रार्थना पत्र दिनांक 11–12–2012 पर तहसीलदार अतरौली से प्राप्त जॉच आख्या दिनांक
14–08–2013 के आधार पर योजित हुआ है। संक्षेप में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी वीर खण्ड
महाविद्यालय नगला झण्डा अलीगढ का प्रबन्ध/सचिव है और आराजी गाटा संख्या 06 रकवा 1.464
है0 में से रकवा 1.036 है0 भूमि वीर खण्ड महाविद्यालय नगला झण्डा अलीगढ के नाम दर्ज है और
भूमि महाविद्यालय प्रयोजन हेतु आबादी के रुप में प्रयोग की जा रही है तथा उक्त भूमि पूर्णतः आबादी
से आच्छादित है जिसमें कृषि एंव कृषि से सम्बन्धित अन्य प्रयोग बागवानी,पशुपालन,मत्स्यपालन एव
कुक्कुट पालन आदि के प्रयोग में नही आ रही है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को ज0वि0एंव
भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अर्न्तगत अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रकरण की जॉच तहसीलदार अतरौली से करायी गयी। तहसीलदार अतरौली द्वारा ज0वि0
एव भू0व्य0 नियमावली के नियम 135 के निर्धारित प्रारुप सहित क्षेत्रीय लेखपाल एंव राजस्व निरीक्षक
की जॉच आख्या पर दिनांक 14–08–2013 को आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम दादो के
खाता संख्या 593 के गाटा संख्या 06 रकवा 1.464 है0 भूराजस्व 46.40 में से 1036/1464 भाग रकवा
1.036 है0 भूराजस्व 32–85 पर वीर खण्ड महाविद्यालय नगला झण्डा अलीगढ द्वारा प्रबन्धक/सचिव
रामवीरसिंह यादव पुत्र कल्लूसिंह निवासी ग्राम नगला झण्डा मजरा दादो का नाम दर्ज कागजात है।
उक्त भूमि में मौके पर कृषि कार्य,कुक्कुट पालन आदि के प्रयोग में नही हो रही है। उक्त भूमि पर
मौके पर वीर खण्ड महाविद्यालय नगला झण्डा अलीगढ की आबादी बनी है। अतः तहसीलदार अतरौली
द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है तथा उक्त भूमि के मौके
पर महाविद्यालय के लिये गये फोटो चित्र एंव नक्शा की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एंव तहसीलदार अतरौली की जॉच आख्या का
अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वीर खण्ड महाविद्यालय
नगला झण्डा अलीगढ द्वारा प्रबन्धक/सचिव रामवीरसिंह यादव पुत्र कल्लूसिंह निवासी ग्राम नगला
झण्डा मजरा दादो के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर भूअभिलेखों में अभिलिखित है। तहसील
आख्यानुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर मौके पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है तथा मौके पर
अकृषिक प्रयोजन में आ रही है और उक्त भूमि पर मौके पर महाविद्यालय के भवन एंव आबादी बनी
है। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार अतरौली द्वारा अपनी आख्या के साथ प्रस्तुत महाविद्यालय के
फोटो चित्र जो पत्रावली पर उपलब्ध से होती है जिनके अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर महाविद्यालय
का भवन निर्मित है। ऐसी दशा मे तहसीलदार अतरौली की आख्या से सहमत होते हुए उक्त भूमि को
अकृषिक भूमि घोषित किया जाना समुचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार अतरौली की जॉच आख्या के आधार पर प्रार्थी रामवीरसिंह यादव पुत्र
कल्लूसिंह निवासी ग्राम नगला झण्डा मजरा दादो प्रबन्धक/सचिव वीर खण्ड महाविद्यालय नगला
झण्डा अलीगढ की भूमि स्थित मौजा दादो परगना गंगीरी तहसील अतरौली के खाता संख्या 593 के
गाटा संख्या 06 रकवा रकवा 1.464 है0 भूराजस्व 46.40 में से 1036/1464 भाग रकवा 1.036 है0
भूराजस्व 32 85 भूमि को अकृषिक भूमि इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उपरोक्त
भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होना पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भूराजस्व इत्यादि योजित कर
दिया जायेगा। तहसील अतरौली की जांच आख्या दि0 14–08–2013 इस आदेश का अंग रहेगी।
उपरोक्तानुसार भूराजस्व खाते से कम किया जावे। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे। राजस्व
अभिलेख खतौनी में इस आदेश का इन्द्राज वर्षानुवर्ष किया जाता रहेगा। आदेश की एक प्रति
तहसीलदार अतरौली व उपनिबन्धक अतरौली को भेजी जावे। अनुपालन के उपरान्त पत्रावली संचित
की जावे।

दिनांक : 25–08–2013

S.D

(राजपालसिंह)

उपजिलाधिकारी/सहा0कले0प्र0श्रेणी

अतरौली,अलीगढ

नकल सवाल के दिनाक 16-2-19

नकल बनाने का दिनाक 20-2-19

नकल जारी करने का दिनाक 20-2-19

नकल नवीस के हस्ताक्षर

मिलान करने के हस्ताक्षर

नकल शब्द की संख्या बारह सौ

सत्य प्रतिलिपि

20-2-19

राजस्व अभिलेखागार

अलीगढ

अभिलेखागार कलेक्ट्रेट, अलीगढ